



मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासनविभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल

पंजी एफ-11-154/2019/सूअप्र/1-9/683
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/10/2021

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- सूचना का अधिकार पोर्टल के क्रियान्वयन के संबंध में।

—00—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समयसीमा में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार पोर्टल (<http://rti.mp.gov.in>) विकसित किया गया है। यह सेवा प्रदेश के सर्विस पोर्टल (<http://services.mp.gov.in>) पर भी उपलब्ध है।

इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक संबंधित विभाग एवं कार्यालय का चयन कर चाही गई जानकारी हेतु अपना आवेदन ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन माध्यम से ही वांछित जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ में यह सुविधा केवल प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के लिए लागू की जा रही है, द्वितीय चरण में संभाग, जिले एवं अन्य स्तर पर इसे क्रियान्वित किया जाएगा।

2/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन की इकाई मॅप मैप आईटी के सहयोग से विकसित इस पोर्टल के प्रयोग हेतु विभाग, विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों को निम्न कार्य संपादित करना आवश्यक होगा:-

1. मध्यप्रदेश के ई सर्विस पोर्टल (<http://services.mp.gov.in>) पर समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों के पूर्व से आफिस एडमिन के लॉगइन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। इस हेतु विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अन्य यूजर (मेकर/चेकर) उनके स्तर से ही बनाये गये हैं।

निरंतर-2

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

28/10/2021



//2//

विभाग/विभागाध्यक्ष के पास उक्तानुसार उपलब्ध ऑफिस एडमिन के लॉगइन से सूचना का अधिकार सेवा हेतु निम्न तीन यूजर संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा बनाए जाने हैं:-

- लोक सूचना अधिकारी
- सहायक लोक सूचना अधिकारी
- सूचना का अधिकार से संबंधित लिपिक/अधिकारी

3. उपरोक्तानुसार यूजर बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नं एवं ईमेल की पूर्ति पोर्टल पर की जानी होगी। उल्लेखनीय है कि पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उक्त यूजर बनाए जाने के उपरांत ही नागरिक संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

3/ नागरिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन संबंधित कार्यालय के सूचना का अधिकार से संबंधित लिपिक/अधिकारी के लॉगइन पर प्रदर्शित होंगे जिसे वे लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्णय लेने हेतु पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्णय के उपरांत नागरिक द्वारा चाही गई नियमानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा ई हस्ताक्षरित जानकारी संबंधित नागरिक को आनलाइन माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी।

4/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त पोर्टल पर निर्दिष्ट यूजर बनाए जाने एवं पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जानकारी प्रदाय करने की कार्यवाही करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग(सू.अ.प्र.) को संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार प्रपत्र ।


(मधु नीगर)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग(सूअप्र)

पृ.कं. एफ 11-154/2019/सूअप्र/1-9/684
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27/10/2021

- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
- सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
- महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
- राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
- प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल,
- मंत्री/राज्यमंत्री गण, के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,

निरंतर-3

सूचना का अधिकारप्रकोष्ठ



सूचना का
अधिकार

// 3 //

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना /अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
15. मुख्य सचिव, के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. आयुक्त, जन सम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल,
17. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल,
19. अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। कृपया उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (सू.अ.प्र.) की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1

उप सचिव/1/2/24

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग (सू.अ.प्र.)

